उत्तर प्रदेश शासन
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2
संख्या : 15/2026/1455/94-2-2026-700(30)/2026
लखनऊ, दिनांक : 02 नवम्बर, 2026

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश राज्य में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा-9 की उपधारा-(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से भारत सरकार की पी०एम० मित्र योजना के अधीन जिला लखनऊ-हरदोई में अवस्थित 1,000 एकड़ (404.69 हेक्टेयर) भूमि पर पी०एम० मित्र पार्क मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान पार्क द्वारा चयनित मास्टर डेवलपर (रियायतग्राही एस०पी०वी०) के पक्ष में निष्पादित होने वाली मास्टर सब-लीज़ की लिखत पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद-35 के अधीन संदेय **स्टाम्प शुल्क** से छूट प्रदान करते हैं :

परन्तु यह कि पूर्वोक्त छूट चयनित मास्टर डेवलपर (रियायतग्राही एस०पी०वी०) और पी०एम० मित्र पार्क उत्तर प्रदेश लिमिटेड (एस०पी०वी०) के मध्य निष्पादित मास्टर सब-लीज़ की लिखत तक सीमित रहेगी।

आज्ञा से,

अमित गुप्ता
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 15/2026/1455(1)/94-2-2026-700(30)/2026 दिनांक : 02 नवम्बर, 2026

प्रतिलिपि - हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक 02 नवम्बर, 2026 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

सुधीर कुमार
विशेष सचिव।

संख्या : 15/2026/1455(2)/94-2-2026-700(30)/2026 दिनांक : 02 नवम्बर, 2026

1. सचिव, वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
4. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
5. महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ०प्र०।
6. मण्डलायुक्त, लखनऊ उ०प्र०।
7. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
8. जिलाधिकारी, लखनऊ/हरदोई उ०प्र०।
9. उप महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ उ०प्र०।
10. अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), लखनऊ/हरदोई उ०प्र०।
11. सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, लखनऊ/हरदोई उ०प्र०।
12. विधायी अनुभाग-1
13. भाषा अनुभाग-5
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शिव कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag-2

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no : 15/2026/1455/94-2-2026-700(30)/2026, dated : 02 November, 2026

Notification
Order

No : 15/2026/1455/94-2-2026-700(30)/2026
Lucknow, Dated : 02 November, 2026

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899) as amended in its application to the State of Uttar Pradesh, the Governor, from the date of the publication of this notification in the Official Gazette, is pleased to remit the **stamp duty,** payable under Article 35 of Schedule I-B of the Indian Stamp Act, 1899 on the instrument of Master Sub-Lease to be executed in favour of Selected Master Developer (Concessionaire S.P.V.) by P.M. Mitra Park Mega integrated Garment Zone and Apparel Park, on the 1,000 acres (404.69 hectares) of land situated in district Lucknow-Hardoi, under the P.M. Mitra Scheme of the Government of India :

Provided that the aforesaid remission shall be confined to the instrument of Master Sub-Lease executed between Selected Master Developer (Concessionaire S.P.V.) and P.M. Mitra Park U.P. Ltd. (S.P.V).

By order,

Amit Gupta
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।